


उत्तर प्रदेश सरकार  
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2  
संख्या—क०नि०-२- १०४५/ग्यारह-९(१)/०८-उ०प्र०अधि०-३०-०७-आदेश-(५८)-२००९  
लखनऊः दिनांकः २९ मई, २००९

### अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 01 जून, 2009 से, समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या—क०नि०-२-२७५७/ग्यारह-९(१)/०८-उ०प्र०अधि०-३०-०७-आदेश-(३१)-२००८ दिनांक 29 सितम्बर, 2008 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

### संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, अनुसूची में कम संख्या 2, 10, 12, 15, 16, 17, 19 और 20 की प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी।

आज्ञा से,  
  
(देश दीपक कर्मा )  
प्रमुख सचिव।